न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

हरीराम पुत्र श्री लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. घनश्याम पुत्र लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
3. प्रेम पुत्री लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
4. गिर्राज पुत्र माता जगदीशी जाति सैन(नाई) निवासी बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
5. किशनलाल पुत्र माता जगदीशी जाति सैन(नाई) निवासी बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
6. माया पुत्री माता जगदीशी जाति सैन(नाई) निवासी बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
7. धर्मचन्द पुत्र माता कजोडी जाति सैन(नाई) निवासी बागडोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर (राज0)
8. सत्यनारायण पुत्र माता कजोडी जाति सैन(नाई) निवासी बागडोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर (राज0)
9. लोकेश पुत्र हरिराम जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
10. तहसीलदार जी, तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
मुकदमा नम्बर :— 97 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री त्रिलोकचन्द मीना आर.ए.एस. व हाजरी श्री दिनेश मोरवाल एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री औमप्रकाश सैनी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 107 पुराना 99 खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.31, खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.81, खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.45, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.89 हैक्टर, खाता संख्या 431 पुराना 411 खसरा नम्बर 55 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 हैक्टर, खाता संख्या नया 433 पुराना 413 खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.62, खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टर, खाता संख्या नया 280 पुराना 245 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टर तन उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक पर वादी को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी न.1 कजोड को 1/3 एवं प्रतिवादी न.2 घनश्याम को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो, खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन

मेरे दसखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 10 सन 2023 को जारी की गई।

त्रिलोक चन्द मीना
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोंक)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक

(श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 97 / 2023
निर्णय दिनांक :–17.10.2023

उनवान

हरीराम पुत्र श्री लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. घनश्याम पुत्र लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
3. प्रेम पुत्री लड्डूलाल जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
4. गिर्राज पुत्र माता जगदीशी जाति सैन(नाई) निवासी बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
5. किशनलाल पुत्र माता जगदीशी जाति सैन(नाई) निवासी बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
6. माया पुत्री माता जगदीशी जाति सैन(नाई) निवासी बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
7. धर्मचन्द पुत्र माता कजोड़ी जाति सैन(नाई) निवासी बागडोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर (राज0)
8. सत्यनारायण पुत्र माता कजोड़ी जाति सैन(नाई) निवासी बागडोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर (राज0)
9. लोकेश पुत्र हरिराम जाति सैन(नाई) निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
10. तहसीलदार जी, तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला-टोंक सत्यमेव जयते

वाद बाबत् उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश मोरवाल अधिवक्ता वादी
2. श्री औमप्रकाश सैनी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का वाद पेश किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 99 खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.31, खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.61, खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.45, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.69 हैक्टर, खाता संख्या 431 पुराना 411 खसरा नम्बर 55 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 हैक्टर, खाता संख्या नया 433 पुराना 413 खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.62, खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टर, खाता संख्या नया 260 पुराना 245 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टर तन उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है, वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है –

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

माधो

घांसीलाल उर्फ घीस्या — लड्डूलाल — रामप्रसाद –लाऔलाद फोत

पुत्री कजोडी

कजोड घनश्याम हरीराम पुत्री जगदीशी पुत्री प्रेम

धर्मचन्द सत्यनारायण

गिर्राज किशनलाल माया

धूल्या

पत्नी भूरी

दत्तक भतीजा पुत्र घनश्याम

सजरा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज माधो के 3 पुत्र घासीलाल उर्फ घीस्या, लड्डूलाल, रामप्रसाद थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, घासीलाल के मात्र एक पुत्री कजोड़ी वारिस थी, जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके प्रतिवादी नं. 7 धर्मचन्द, प्रतिवादी नं .8 सत्यनारायण वारिस है, लड्डूलाल के तीन पुत्र कजोड़, घनश्याम, हरीराम, दो पुत्रियाँ जगदीशी व प्रेम थी, जिनमे जगदीशी का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके गिर्राज, किशनलाल, माया, प्रतिवादी नं. 4 ता 6 वारिस है। माधो के भाई धूल्या के कोई औलाद नही होने से उसकी पत्नी भूरी ने उसके जीवनकाल में ही भतीजे लड्डूलाल के पुत्र घनश्याम को बचपन में ही गोद ले लिया था। रामप्रसाद लाऔलाद फोत हुआ था, जिसकी सेवा सुश्रुषा प्रतिवादी नं. 9 लोकेश द्वारा किये जाने पर रामप्रसाद द्वारा वादी के पुत्र लोकेश के पक्ष मे वसीयत कर दी गयी थी। स्व. घासीलाल की सेवा सुश्रुषा भी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा की गई थी तथा अन्तिम समय सामाजिक कियाकर्म भी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा ही किये गये थे। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 की बहिन स्वर्गीय कजोड़ी, जगदीशी ने उनके जीवनकाल में ही तथा प्रतिवादी नं. 3 प्रेम द्वारा भी उनके साथ–साथ ही अपने हिस्से एवं हक अधिकारों का हक त्याग वादी एंव प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया था, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश गलत नाम दर्ज होने से नामान्तरकरण नहीं खुलने व पारिवारिक असहमति एवं विवाद से रजिस्टर्ड हकत्याग नहीं करवा सके थे। प्रतिवादी नं. 9 द्वारा भी वसीयत के आधार पर अपने हक अधिकार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के हक में छोड़ दिये गये है। मौके पर आपसी सहमति एवं हिस्सेनुसार उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 अपने–अपने 1/3–1/3–1/3 हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के खाता संख्या नया 431 मे राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश घासीलाल के पिता का नाम केसरा एवं खाता संख्या नया 107 एवं 433 में त्रुटिवश घासीलाल के स्थान पर घीस्या, गांव में घीस्या के नाम से जानने के कारण दर्ज कर दिया गया है, जबकि सही नाम घासीलाल पुत्र माधो होना चाहिए था, त्रुटिवश नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला गया है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 को विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी एंव प्रतिवादीगण का उक्त सम्पूर्ण आराजियात 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

घोषित करते हुए उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री औमप्रकाश सैनी द्वारा वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामा दिनांक 04.09.2023 को पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए, वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने में एवं वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने एवं वादी का उक्त वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पी0डब्लू 1 हरिराम पुत्र लड्डूलाल सैन निवासी उखलाना, पी0डब्लू0 2 लडडूलाल मीना पुत्र लोडक्या मीना निवासी उखलाना, पी0डब्लू0 3 गिर्राज पुत्र श्योजीलाल सैन निवासी बामनिया के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जिन्हैं शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में डी0डब्लू 1 घनश्याम पुत्र लडडूलाल सैन(नाई) निवासी उखलाना, डी0डब्लू 2 धर्मचन्द पुत्र माता कजोड़ी जाति सैन निवासी बागडोली तह0 बोली जिला सवाईमाधोपुर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जिन्हैं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 17.10.2023 को पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दोराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज माधो के 3 पुत्र घासीलाल उर्फ घीस्या, लड्डूलाल, रामप्रसाद थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, घासीलाल के मात्र एक पुत्री कजोड़ी वारिस थी, जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके प्रतिवादी नं. 7 धर्मचन्द, प्रतिवादी नं .8 सत्यनारायण वारिस है, लड्डूलाल के तीन पुत्र कजोड़, घनश्याम, हरीराम, दो पुत्रिया जगदीशी व प्रेम थी, जिनमे जगदीशी का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके गिर्राज, किशनलाल, माया, प्रतिवादी नं. 4 ता 6 वारिस है। माधो के भाई धूल्या के कोई औलाद नही होने से उसकी पत्नी भूरी द्वारा उसके जीवनकाल में ही भतीजे लड्डूलाल के पुत्र घनश्याम को बचपन में ही गोद ले लिया था। रामप्रसाद लाऔलाद फोत हुआ था, जिसकी सेवा सुश्रुषा प्रतिवादी नं. 9 लोकेश द्वारा किये जाने पर रामप्रसाद द्वारा वादी के पुत्र लोकेश के पक्ष मे वसीयत कर दी थी। स्व. घासीलाल की सेवा सुश्रुषा भी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा की गई थी तथा अन्तिम समय सामाजिक कियाकर्म भी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा ही किये गये थे। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 की बहिन स्वर्गीय कजोड़ी, जगदीशी ने उनके जीवनकाल मे ही तथा प्रतिवादी नं. 3 प्रेम द्वारा भी उनके साथ–साथ ही अपने हिस्से एवं हक अधिकारो का हक त्याग वादी एंव प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पक्ष में कर दिया था, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश गलत नाम दर्ज होने से नामान्तरकरण नहीं खुलने व पारिवारिक असहमति एवं विवाद से रजिस्टर्ड हकत्याग नहीं करवा सके थे। प्रतिवादी नं. 9 द्वारा भी वसीयत के आधार पर अपने हक अधिकार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के हक में छोड दिये गये है। मौके पर आपसी सहमति एवं हिस्सेनुसार उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 अपने–अपने 1/3–1/3–1/3 हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के खाता संख्या नया 431 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश घासीलाल के पिता का नाम केसरा एवं खाता संख्या नया 107 एवं 433 में त्रुटिवश घासीलाल के स्थान पर घीस्या, गांव में घीस्या के नाम से जानने के कारण दर्ज कर दिया गया है, जबकि सही नाम घासीलाल पुत्र माधो होना चाहिए था, त्रुटिवश नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला गया है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 को विरासत में प्राप्त हुई है। वादी एंव प्रतिवादीगण का उक्त सम्पूर्ण आराजियात में 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दोराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया गया कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/3 प्रतिवादी नं0 1 को 1/3 प्रतिवादी नं0 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद स्वीकार करने हेतु कथन किया गया है। अधिवक्ता वादी द्वारा उभयपक्षकारान के मध्य किया गया राजीनामा प्रपत्र दिनांक 07.02.2023 भी संलग्न किया गया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र में वादी का वाद स्वीकार कर वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/3 खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जाने हेतु आदेश जारी करने बाबत निवेदन किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2070–74 ग्राम उखलाना पटवार मण्डल उखलाना तहसील उनियारा के खाता संख्या 107 में वर्णित आराजियात कुल किता 8 रकबा 2.69 है0 घीस्या, रामप्रसाद एवं लड्डू पुत्रान माधो के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/3 के रूप में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2070–74 ग्राम उखलाना पटवार मण्डल उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक के खाता संख्या 433 कुल किता 2 रकबा 1.22 है0 घीस्या पुत्र माधो हिस्सा 1/6, रामप्रसाद पुत्र माधो हिस्सा 5/12, लड्डूलाल पुत्र माधो हिस्सा 5/12 अंकित है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2070–74 ग्राम उखलाना पटवार मण्डल उखलाना तहसील उनियारा के खाता संख्या 431 में कुल किता 2 रकबा 0.19 है0 घासीलाल पुत्र केसरा हिस्सा 1/3, रामप्रसाद पुत्र माधो हिस्सा 1/3 एवं लडडूलाल पुत्र माधो हिस्सा 1/3 खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनो जमाबंदीयो में घासीलाल का घासीलाल एवं घीस्या अलग–अलग अंकित है एवं खाता संख्या 431 में घासीलाल के पिता का नाम केसरा, जबकि खाता संख्या 107 एवं 431 में घासीलाल का नाम घीस्या पुत्र माधो अंकित है। वाद पत्र में एवं साक्ष्य में उभयपक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घासीलाल एवं घीस्या एक ही व्यक्ति है। घीस्या पुत्र माधो एवं घासीलाल पुत्र केसरा के स्थान पर घासीलाल पुत्र माधो होना चाहिए। पत्रावली में एक रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 10.01.1992 भी संलग्न है जिसमें भूरी देवी पत्नी धूल्या द्वारा अपने पति के भतीजे घनश्याम पुत्र लड्डूलाल जाति नाई को गोद लिये जाने का कथन किया गया है। पत्रावली में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 01.08.2016 संलग्न है जो कि रामप्रसाद पुत्र माधो द्वारा अपने भाई लड्डू लाल के पोत्र लोकेश पुत्र हरिराम के पक्ष में तस्दीक करवाया गया है। पत्रावली में कजोड़ी देवी, घासीलाल, भूरी देवी के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां भी संलग्न है। वाद पत्र में अंकित सजरा अनुसार माधोलाल के तीन वारिसान कमशः घासीलाल उर्फ घीस्या, लडडूलाल एवं रामप्रसाद वारिस है। घासीलाल के एक पुत्री कजोड़ी थी। कजोड़ी के दो वारिसान कमशः धर्मचन्द (प्रतिवादी नं.7) एवं सत्यनारायण (प्रतिवादी नं.8) है। रामप्रसाद लाऔलाद फोत हुआ था। लडडूलाल के पांच वारिसान हुये कमशः कजोड(प्रतिवादी नं.1), घनश्याम(प्रतिवादी नं.2), हरिराम(वादी) पुत्र तथा जगदीशी(फोत), प्रेम(प्रतिवादी नं.3) पुत्रियां वारिसान हुये। जगदीशी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान गिर्राज(प्रतिवादी नं.4), किशनलाल(प्रतिवादी नं.5) व माया(प्रतिवादी नं.6) है। माधो का भाई धूल्या की पत्नी भूरी देवी थी। इस प्रकार घासीलाल उर्फ घीस्या की एक मात्र वारिस कजोड़ी हुई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है जिसकी मृत्यु पश्चात उसके दो वारिस धर्मचन्द एवं सत्यनारायण हुये। प्रतिवादी नं. 4 धर्मचन्द के द्वारा प्रस्तुत एक शपथ पत्र कमांक 381 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

भी पत्रावली में संलग्न है। उक्त शपथ पत्रानुसार घासीलाल उर्फ घीस्या के मात्र पुत्री कजोड़ी वारिस थी जो मेरी माता है। मेरे नाना की सेवा सुश्रुषा मेरे नाना के सगे भाई लडडूलाल के पुत्र घनश्याम, कजोड़ व हरिराम द्वारा ही की गयी थी तथा उनके अन्तिम समय पर हिन्दु धर्म अनुसार क्रियाकर्म आदी सम्पन्न करवाये थे तथा मेरी माता को सगी बहिन की भांति मानते थे। मेरी स्व0 माता कजोड़ी ने उसके जीवनकाल में मेरे नाना घासीलाल उर्फ घीस्या की मृत्यु के पश्चात ही उक्त आराजी भूमि मेरे नाना के हिस्से की भूमि कजोड़, घनश्याम व हरिराम के हक में हिस्सा छोडते हुए सम्भला दी गयी थी तब से ही उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में नाना घासीलाल उर्फ घीस्या के नाम व पिता के नाम में त्रुटिवश गलत दर्ज हो जाने से उक्त भूमि का नामान्तरकरण मेरी माता के नाम नहीं खुल सका था। उक्त भूमि को मेरे मामा कजोड(प्रतिवादी नं.1), घनश्याम(प्रतिवादी नं.2) व हरिराम(वादी) के नाम लगाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में यदि उनकी खातेदारी में नहीं आती है तो मैं व मेरा भाई सत्यनारायण सैन बिना प्रतिफल के उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग/दान पत्र मेरे मामा कजोड, घनश्याम व हरिराम के हिस्से में बराबर खातेदारी में अंकित करवा देंगे। कजोड़ी के वारिसान प्रतिवादी नं. 7 धर्मचन्द एवं प्रतिवादी नं. 8 सत्यनारायण द्वारा इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र में दिये गये कथनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु निवेदन किया गया है। लड्डूलाल के वारिसान कमशः कजोड़, घनश्याम, हरिराम पुत्रान तथा जगदीशी एवं प्रेम पुत्रियां है। जगदीशी की मृत्यु हो चुकी है(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)। जगदीशी के वारिसान प्रतिवादी नं. 4 गिर्राज प्रतिवादी नं. 5 किशनलाल एवं प्रतिवादी नं. 6 माया है। प्रतिवादी नं. 4,5 एवं 6 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित आराजियात को वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम से प्रत्येक का हिस्सा 1/3 अंकन किये जाने बाबत कथन किया है। माधो का तृतीय वारिस रामप्रसाद जो कि लाऔलाद फोत होना कथन किया गया है के द्वारा एक रजिस्टर्ड वसियतनामा अपने भाई लड्डूलाल के पौत्र अर्थात लोकेश पुत्र हरिराम(वादी) के पक्ष में तस्दीक किया गया है जो कि दिनांक 01.08.2016 को रजिस्टर्ड है। रामप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र. संलग्न है। वादी का पुत्र लोकेश उक्त वाद पत्र में प्रतिवादी नं. 9 है जिसके द्वारा अपने इकबाली जवाब में तथा राजीनामा प्रपत्र में वाद पत्र में अंकित आराजियात को वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 को हिस्सा 1/3 प्रत्येक अंकित करवाने बाबत कथन किया गया है। माधो का भाई धूल्या था जिसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी भूरी थी। भूरी देवी की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। श्रीमति भूरी पत्नी धूल्या द्वारा प्रतिवादी नं. 2 घनश्याम पुत्र लड्डूलाल को पंजीकृत गोदनामा जो कि दिनांक 10.01.1992 को रजिस्टर्ड किया गया के द्वारा गोद लिया गया है। उक्त गोदनामा पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माधोलाल एवं धूल्या की स्वामित्व की आराजियात के सम्बन्ध में माधो एवं धूल्या के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 द्वारा इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रपत्र के अनुसार वाद पत्र में अंकित आराजियात को वादी तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने बाबत कथन किया गया है। अतः न्यायाल इकबाली जवाब, राजीनामा प्रपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाना उचित समझता है। जहाँ तक घीस्या उर्फ घासीलाल के नाम को शुद्ध करने का प्रश्न है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्रों द्वारा अपने अभिकथनों में यह स्वीकार किया गया है कि घासीलाल एवं घीस्या एक ही व्यक्ति है। बोलता हुआ नाम घीस्या होने से घासीलाल का नाम कुछ स्थानों पर घीस्या कर दिया गया। इसी प्रकार सहवन से घासीलाल के पिता का नाम माधो के स्थान पर केसरा कर दिया गया। घासीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.07.2023

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned with CamScanner

संलग्न है जिसमें घासीलाल पुत्र माधो अंकित है। इस प्रकार न्यायालय इस सम्बन्ध में इस निर्णय पर पहुंचती है कि घासीलाल व घीस्या एक ही व्यक्ति है एवम घासीलाल के पिता का नाम माधो है। अतः राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2070–74 खाता संख्या 431 ग्राम उखलाना पटवार मण्डल उखलाना में अंकित घासीलाल पुत्र केसरा के स्थान पर घासीलाल पुत्र माधो एवं खाता संख्या 107 व 433 में अंकित घीस्या पुत्र माधो के स्थान पर घासीलाल पुत्र माधो अंकन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात मे 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी का उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

परिणामतः उपर्युक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुए वाद डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 107 पुराना 99 खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.31, खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.35, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.61, खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.45, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.69 हैक्टर, खाता संख्या 431 पुराना 411 खसरा नम्बर 55 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 हैक्टर, खाता संख्या नया 433 पुराना 413 खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.62, खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.60 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टर, खाता संख्या नया 260 पुराना 245 खसरा नम्बर 54 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हैक्टर तन उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक पर वादी को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी न.1 कजोड को 1/3 एवं प्रतिवादी नं. 2 घनश्याम को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

यह निर्णय आज दिनाक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

त्रिलोक चन्द मीना
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
उनियारा, जिला-टोंक
उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोंक)

Scanned with CamScanner